



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-13032026-270920  
CG-TL-E-13032026-270920

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1239]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2026/फाल्गुन 21, 1947

No. 1239]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2026/PHALGUNA 21, 1947

रेल मंत्रालय  
(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 11 मार्च, 2026

**का.आ. 1296(अ).**— केंद्रीय सरकार ने रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके पश्चात उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), की धारा 20ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी, भारत का राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) के अंतर्गत दिनांक 20 मार्च, 2026 को प्रकाशित भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का.आ.1353(ई) दिनांक 20 मार्च, 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को तेलंगाना राज्य में मेदक जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् "महबूबनगर-डोन दोहरीकरण परियोजना के निर्माण कार्य" के निष्पादन के लिए आपेक्षित है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और जैसा कि उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत दैनिक समाचार पत्र **द हिंदु, हिंदी मिलाप और मना तेलंगाना** में 08 मई, 2025 को प्रकाशित किया गया था;

और जबकि, मेदक जिले के मेदक राजस्व मंडल के कामारम, मिर्जापल्ली, अक्कन्नपेट और झांसी लिंगापुर गावों के लिए कोई भी आपत्ति प्रस नहीं हुआ और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया है तदनुसार आदेश पारित किए गए हैं;

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20(ई) की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने इसकी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20(ई) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी.

### अनुसूची

तेलंगाना राज्य में भूमि अधिग्रहण के लिए, मेदक जिले के मेदक राजस्व मंडल अधिकारी और भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी, मेदक के अंतर्गत कामारम, मिर्जापल्ली, अक्कलपेट और झांसी लिंगापुर गांवों में मुदखेड और डोन स्टेशनों के बीच दोहरीकरण; विशेष रेल परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का किसी संरचना सहित या उनके रहित संक्षिप्त विवरण.

क्र.सं.	मंडल और गांव का नाम	खिला का नाम	भूमिधारक का नाम	सर्वेक्षण सं.	भूमि वर्गीकरण पट्टा/सरकारी	अधिग्रहण क्षेत्र (एकड़ -गुंटा)	संपत्ति		
							बोरवेल	निर्माण	पेड़
1	शंकरमपेट का कामारम गांव - आर मंडल	मेदक	मुदवत गोपाल सुपुत्र पांडु	120ईई/2/1/1	पट्टा	0.00 ¾	-	-	-
2		मेदक	मेदुदु राज्यलक्ष्मी पत्नी अंति रेड्डी	120ए	पट्टा	0.00 ½	-	-	-
3	शंकरमपेट का मिर्जापल्ली गांव - आर मंडल	मेदक	बोयिनी प्रभाकर सुपुत्र चित्तरी	18	पट्टा	0.02	-	-	-
4		मेदक	1.श्रीराम रामास्वामी सुपुत्र शिवय्या 2.श्रीराम सिदिरामुलु सुपुत्र शिवय्या 3.श्रीराम राजु सुपुत्र शिवय्या	19	पट्टा	0.10 ¼	-	-	-
5		मेदक	पोताराजु अनंतलक्ष्मी पत्नी नारायण	20	पट्टा	0.02 ¾	-	-	-
6		मेदक	पोताराजु अनंतलक्ष्मी पत्नी नारायण	21	पट्टा	0.06	-	-	-
7		मेदक	मददूरी भूलक्ष्मी पत्नी रामकिस्तय्या	34	अतैन्ड भूमि	0.07	-	-	-
8		मेदक	मददूरी रामुलु सुपुत्र नरसय्या	34	अतैन्ड भूमि	0.07	-	-	-
9		मेदक	सरकारी जमीन:	34	सरकारी	0.07 ½	-	-	-
11		मेदक	1. जंगर्ला बालामणि पत्नी यादय्या 2. जंगर्ला कृष्णावैणी पत्नी यादय्या 3. जंगर्ला सिद्धबा पत्नी मैसय्या 4. जंगर्ला नरसम्बा पत्नी नरसय्या 5. जंगर्ला श्रीशैलम सुपुत्र नरसय्या 6. जंगर्ला सत्यनारायण सुपुत्र नरसय्या	35	पट्टा	0.03 ¼	-	-	-
12		मेदक	1. पोताराजु श्रीरामुलु सुपुत्र हनमंत	182	पट्टा	0.01 ¼	-	-	-
13		मेदक	2. के.श्याम कुमार सुपुत्र रामास्वामी	182	पट्टा	0.02	-	-	-

14	रामायमपेट मंडल का अक्कन्नपेट गांव	मेदक	गाजुला शेखर सुपुत्र मल्लय्या	418	पट्टा	0.07	-	-	-
15		मेदक	गाजुला शेखर सुपुत्र मल्लय्या	419	पट्टा	0.06	-	-	-
16		मेदक	गाजुला लक्ष्मी पत्नी श्रीनिवास	421	पट्टा	0.09 ½	-	-	-
17		मेदक	गाजुला सत्तय्या सुपुत्र राजय्या	421	पट्टा	0.00 ½	-	-	-
18		मेदक	1. पुलिगारी प्रवीण कुमार सुपुत्र बेंकटस्वामी 2. पुलिगारी तिनोद सुपुत्र बेंकटस्वामी 3. पुलिगारी मधुसूदन सुपुत्र बेंकटस्वामी	426	पट्टा	0.07	-	3 फीट लंबे 25 पत्थर के स्तंभ	1. सागीन के पेड़ - 51 2. आम के पेड़ - 20
19	रामायमपेट मंडल का झांसी लिंगपुर गांव	मेदक	पेद् चेरुवु	544	शिकम	0.07 ½	1 बोरवेल	-	आम का पेड़ - 1
<b>कुल:</b>						<b>2.07 ¾</b>			

[फा. सं. W.Con.182/SRP-06/MUE-DHNE/23-24/247/20E/11032026]

अमित अग्रवाल, मुख्य इंजीनियर/निर्माण/आयोजना व सर्वेक्षण

**MINISTRY OF RAILWAYS  
(South Central Railway)**

**NOTIFICATION**

Secunderabad, the 11th March, 2026

**S.O. 1296(E).**— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 1353 (E) dated the 20th March, 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section(ii), dated the 20th March, 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section(1) of section 20(A) of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely Mudkhed – Dhone doubling project in the District of Medak in the State of Telangana.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “**THE HINDU, HINDI MILAP and MANA TELANGANA**” dated **08th May 2025** under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, for Kamaram, Mirzapally, Akkannapet & Jhansi Lingapur Villages of Medak Revenue Division, Medak district, no objections were received and the same have been considered by the competent Authority accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government here by declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances:

## SCHEDULE

Doubling between Mudkhed and Dhone stations in Kamaram, Mirzapally, Akkannapet & Jhansi Lingapur Villages of Medak Revenue Division, Medak district, under Revenue Divisional Officer and Competent Authority for Land Acquisition, Medak ; for Land Acquisition in the State of Telangana. Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the Special Railway Project.

S. No.	Name of the Village and Mandal	Name of the District	Name of the land holder	Sy. No.	Land classification Patta/Govt.	Acquisition area (Acres-Gts)	Assets		
							Bore/well	Constructions	Trees
1	Kamaram Village of Shankarampet-R Mandal	Medak	Mudavath Gopal S/o Pandu	120EE/2/1/1	Patta	0.00 ¾	-	-	-
2		Medak	Mettu Rajyalaxmi W/o Anthi Reddy	120A	Patta	0.00 ½	-	-	-
3	Mirzapally village of Shankarampet-R mandal	Medak	Boyini Prabhakar S/o Chittari	18	Patta	0.02	-	-	-
4		Medak	1. Sriram Ramaswami S/o Shivaiah 2. Sriram Sidiramulu S/o Shivaiah 3. Sriram Raju S/o Shivaiah	19	Patta	0.10 ¼	-	-	-
5		Medak	Potharaju Anantha Laxmi W/o. Narayana	20	Patta	0.02 ¾	-	-	-
6		Medak	Potharaju Anantha Laxmi W/o. Narayana	21	Patta	0.06	-	-	-
7		Medak	Madduri Bhoolaxmi W/o. Ramakistaiah	34	Assigned Land	0.07	-	-	-
8		Medak	Madduri Ramulu S/o. Narsaiah	34	Assigned Land	0.07	-	-	-
9		Medak	Govt Land	34	Sarkari	0.07 ½	-	-	-
11		Medak	1. Jangarla Balamani W/o. Yadaiah 2. Jangarla Krishnaveni W/o. Yadaiah 3. Jangarla Siddavva W/o. Maisaiah 4. Jangarla Narsavva W/o. Narsaiah 5. Jangarla Srishailam S/o. Narsaiah 6. Jangarla Sathyanarayana S/o. Narsaiah	35	Patta	0.03 ¼	-	-	-
12		Medak	1. Pothuraju Sreeramulu S/o. Hanmanth	182	Patta	0.01 ¼	-	-	-
13		Medak	2. K. Shyam Kumar S/o Ramaswami	182	Patta	0.02	-	-	-
14		Akkannapet village of Ramayampet mandal	Medak	Gajula Shekar S/o Mallaiah	418	Patta	0.07	-	-
15	Medak		Gajula Shekar S/o Mallaiah	419	Patta	0.06	-	-	-

16		Medak	Gajula Laxmi W/o Srinivas	421	Patta	0.09 ½	-	-	-
17		Medak	Gajula Sathaiiah S/o Rajaiah	421	Patta	0.00 ½	-	-	-
18		Medak	1. Puligari Praveen Kumar S/o Venkata Swamy 2. Puligari Vinod S/o Venkata Swamy 3. Puligari Madhusudhan S/o Venkata Swamy	426	Patta	0.07	-	25-Stone Pillars of 3 feet length	1. Teak Trees - 51 2. Mango Trees-20
19	Jhansi Lingapur village of Ramayampet mandal	Medak	Pedda Chervu	544	Shikam	0.07 ½	1 Bore Well	-	Mango Tree - 1
<b>Total Extent :</b>						<b>2.07 ¾</b>			

[F. No. W.Con.182/SRP-06/MUE-DHNE/23-24/247/20E/11032026]  
AMIT AGARWAL, Chief Engineer/Con/Planning&Survey